यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 असंवैधानिक करार, इलाहाबाद हाईकोर्ट धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया

प्रयागराज (एजेंसी)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन घोषित कर दिया। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को वर्तमान में मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित करने के लिए एक योजना बनाने का भी निर्देश दिया। अदालत की लखनऊ शाखा ने अंशुमान सिंह राठौड़ नामक व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिका पर कानून को अधिकारातीत घोषित कर दिया।

यह फैसला राज्य सरकार द्वारा राज्य में इस्लामी शिक्षा संस्थानों का सर्वेक्षण करने के निर्णय के महीनों बाद आया है। इसने मदरसों को विदेशों से मिलने वाले फंड की जांच के लिए अक्टूबर 2023 में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का भी गठन किया था। राठौड़ ने यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता को चुनौती दी थी और साथ ही भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मदरसों के प्रबंधन पर आपत्ति जताई थी।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच के फैसले के बाद अनुदान प्राप्त मदरसों को सरकार से मिलने वाली सभी अनुदान यानी आर्थिक मदद बंद हो जाएगी और ऐसे मदरसों को खत्म कर दिया जाएगा।

योगी सरकार पराली से प्रदूषण रोकने के लिए किसानों को बाटेंगी 17 लाख बायो डीकंपोजर

लखनऊ (एजेंसी)। वायु प्रदूषण का अहम कारक बने फसल अवशेष (पराली) के निस्तारण की कवायद के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने धान की पराली को बायोकंपोस्ट में बदलने के लिए 17 लाख किसानों को बायो डीकंपोजर उपलब्ध कराने का फैसला किया है। सूत्रों ने बताया कि सरकार पराली के प्रबंधन को लेकर बेहद गंभीर है और इसलिए कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) प्लांट को प्रोत्साहित करने के साथ ही सरकार ने तय किया है कि वह धान की पराली को बायोकपोस्ट में बदलने के लिए 17 लाख किसानों को बायो डीकंपोजर उपलब्ध कराएगी। इस बीच जागरूकता और अन्य अभियान भी जारी रहेंगे। सीबीजी प्लांट में पराली से ईंधन तैयार हो रहा है और ईंधन बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किसानों से उनकी पराली खरीदी जा रही है।

फिलहाल उत्तर प्रदेश में दस सीबीजी प्लांट क्रियाशील हो चुके

हैं। आने वाले समय में प्रदेश में इनकी संख्या बढ़कर सौ हो जाएगी। इसी महीने की आठ तारीख को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी इसकी घोषणा भी कर चुके हैं। यंत्रीकरण के बढ़ते चलन और श्रमिकों की अनुपलब्धता होने की वजह से अब फसलों की कटाई कंबाइन से ही होती है। खरीफ और रबी की प्रमुख फसल धान और गेहूं की कटाई के बाद अगली फसल की तैयारी के लिए इन फसलों के अवशेष जलाने की प्रथा आम है। इसके कारण खासकर धान की कटाई के बाद मौसम में नमी के कारण यह समस्या कुछ इलाकों में गंभीर हो

जाती है। सरकार इस समस्या का स्थाई हल निकालने के लिए शिद्दत से लगी है। इससे संबंधित योजनाएं जब तक अमल में आएं तब तक के लिए भी सरकार की यह मंशा है कि हर संभव तरीकों से पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की समस्या को कम किया जाय। इस दिशा में सीबीजी प्लांट एक शानदार विकल्प बनकर सामने आया है।

सरकार ने यूपी राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 का जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उसमें कृषि अपशिष्ट आधारित बायो सीएनजी, सीबीजी इकाइयों को कई तरह के प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। सरकार की मंशा हर जिले में सीबीजी प्लांट लगाने की है। इसी कड़ी में आठ मार्च को गोरखपुर के धुरियापार में इंडियन ऑयल के सीबीजी प्लांट का शुभारंभ हो चुका है। इसके उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उपस्थित रहे केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आने वाले समय में यूपी में सीबीजी प्लांट की वर्तमान संख्या दस को सौ के आंकड़े तक ले जाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। वास्तव में 165 करोड़ रुपये के निवेश वाला गोरखपुर का यह सीबीजी प्लांट पर्यावरण की रक्षा, किसानों की आमदनी बढ़ाने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा प्रयास है। इस प्लांट में रोजाना 200 मीट्रिक टन पराली यानी कृषि अवशेष (धान का भूसा) 20 मीट्रिक टन प्रेसमड और 10 मीट्रिक टन मवेशियो के गोबर का उपयोग होगा। बायोगैस प्लांट में प्रतिदिन लगभग 20 मीट्रिक टन बायोगैस और 125 मीट्रिक टन जैविक खाद का उत्पादन होगा। जैविक खाद से कृषि की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी इस तरह के प्लांट का सीधा मतलब यह हुआ कि ऊर्जा क्षेत्र में भी अन्नदाता किसानों की बड़ी भूमिका होगी और, इस ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र से जुड़कर वह अतिरिक्त आय भी अर्जित करेंगे। उधर पराली जब जलाई नहीं जाएगी तो पर्यावरण संरक्षण आप ही होने लगेगा।

उप्र पशुधन विकास परिषद के पूर्व जोनल प्रबंधक डा. बीके सिंह के मुताबिक, प्रति एकड़ डंठल से करीब 18 क्विंटल भूसा बनता है। सीजन में भूसे का प्रति क्विंटल दाम करीब 400 रुपए माना जाए तो डंठल के रूप में 7200 रुपये का भूसा नष्ट हो जाता है। बाद में यही चारा संकट का कारण बनता है। फसल अवशेष से ढकी मिट्टी का तापमान नम होने से इसमें सूक्ष्मजीवों की सक्रियता बढ़ जाती है,जो अगली फसल के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व मुहैया कराते हैं। अवशेष से ढकी मिट्टी की नमी संरक्षित रहने से भूमि के जल धारण की क्षमता भी बढ़ती है। इससे सिंचाई में कम पानी लगने से इसकी लागत घटती है। साथ ही दुर्लभ जल भी बचता है। डा सिंह ने सलाह दी कि किसान डंठल जलाने के बजाय उसे गहरी जोताई कर खेत में पलट कर सिंचाई कर दें। शीघ्र सड़न के लिए सिंचाई के पहले प्रति एकड़ 5 किग्रा यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। इसके लिए कल्चर भी उपलब्ध हैं।

लखनऊ में लोकसभा चुनाव के लिए चार प्रत्याशियों ने कराया नामांकन

लखनऊ(एजेंसी) । यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के प्रथम चरण में 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 20 मार्च को अधिसूचना जारी होने के तीसरे दिन शुक्रवार को विभिन्न दलों के 4 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया।

पहले चरण के 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत शुक्रवार को नगीना-5 (अनु. जाति) लोकसभा सीट के लिए आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के श्री चन्द्रशेखर तथा समाजवादी पार्टी के श्री मनोज कुमार ने नामांकन किया। इसी प्रकार मुरादाबाद-6 लोकसभा सीट के लिए सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर आफ इंडिया (कम्युनिस्ट) के श्री हर किशोर सिंह तथा रामपुर-7 लोकसभा सीट के लिए राष्ट्रीय समाज दल (आर) से श्री संजय कुमार भारती ने नामांकन दाखिल किया। इस प्रकार अब तक विभिन्न दलों के कुल 4 प्रत्याशियों द्वारा प्रथम चरण में नामांकन किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन का समय पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे के मध्य निर्धारित है। नामांकन के दौरान सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गयी है। सम्पूर्ण नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करायी जा रही है। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 27 मार्च, 2024 (बुधवार) निर्धारित है। 28 मार्च, 2024 (वृहस्पतिवार) को नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जायेगी। प्रत्याशियों द्वारा 30 मार्च, 2024 (शनिवार) तक नाम वापस लिये जा सकेंगे। प्रथम चरण में 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) को मतदान होगा।

सपा से गठबंधन टूटने के बाद पल्लवी पटेल का बड़ा बयान- एनडीए से ऑफर मिला तो विचार करेंगे: पल्लवी पटेल

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडी) के घटक अपना दल ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी को गठबंधन के तहत एक भी सीट नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई है। पार्टी ने कहा कि बिहार में जो नीतीश कुमार के साथ हुआ, वहीं उत्तर प्रदेश में उसके साथ किया जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) अपना दल (कमेरावादी) को सीटों का कोई प्रस्ताव देता है तो पार्टी उस पर निर्णय लेगी।

पार्टी नेता एवं विधायक पल्लवी पटेल ने इंडिया गठबंधन के तहत, आगामी लोकसभा चुनाव के लिये उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को एक भी सीट नहीं दिये जाने पर नाराजगी जाहिर की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को कहा था कि अपना दल (कमेरावादी) के साथ वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के लिये गठबंधन था, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिये नहीं। इस पर पल्लवी पटेल ने कहा कि अब यूपी में सपा अध्यक्ष यादव और राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन की प्रमुख पार्टी यानी कांग्रेस यह बताएं कि वे अपना

दल (कमेरावादी) के साथ क्या करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया है, वह प्रमाणित करें कि हम उसका हिस्सा हैं या नहीं। बिहार में नीतीश कुमार के साथ जो हुआ, वही उत्तर प्रदेश में राजमाता कृष्णा पटेल के साथ हो रहा है। पल्लवी पटेल ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के साथ क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी लोकसभा सीटें मांगी थीं मगर उन्हें एक भी सीट नहीं दी गयी। गठबंधन को लेकर सपा के रवैये के बारे में उन्होंने कहा-(सपा के) 2017 में 47 विधायक जीते। साल 2022 में ओम प्रकाश राजभर उनके साथ आये, संजय चौहान, केशव देव मौर्य, जयंत चौधरी, राजमाता कृष्णा पटेल साथ आये तब आप 47 से 111 हुए और 34 प्रतिशत वोट आपको मिले। इसके बाद आपको लगने लगा कि 34 प्रतिशत वोट आपके हैं और अब आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप गलतफहमी में जी रहे हैं।

अगर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अगुवाई वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) अपना दल (कमेरावादी) को सीटों का कोई प्रस्ताव देता है तो क्या वह उसे स्वीकार करेंगी? इस पर पल्लवी पटेल ने कहा- इस बारे में अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो कोई भी निर्णय पार्टी ही करेगी। सीट बंटवारे को लेकर 'इंडिया% गठबंधन से बातचीत के दरवाजे अभी खुले हैं।

कब्जा और धोखाधड़ी के आरोपी सपा सांसद डॉ. एसटी हसन समेत सात को न्यायालय ने किया तलब

मुरादाबाद (संवाददाता)। मुरादाबाद लोकसभा सीट से सपा सांसद डॉ. एसटी हसन समेत सात लोगों को मुरादाबाद की स्पेशल एमपी- एमएलए कोर्ट ने धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में तलब किया है। इनके खिलाफ एक वकील ने मकान पर अवैध रूप से कब्जा करने का परिवाद दायर किया था। जिसे सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।

अधिवक्ता फजीउल्ला खां ने एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में परिवाद दायर किया था। जिसमें कहा कि साल 1963 में उनके पिता जकाउल्ला खां ने रामपुर के नवाब से पुराने बर्फ खाने ईदगाह रोड के पास कुछ जमीन खरीदी थी। जिस पर मकान बनाने के बाद वसीम अहमद निवासी लाजपतनगर को किराये पर दे दिया था। शर्त रखी थी कि किरायेदार ही सारे टैक्स जमा करेगा।

समय अनुसार किराया भी बढ़ाया जाएगा लेकिन वसीम अहमद ने साजिश करते हुए गृहकर अपने नाम से बना लिए। इस संपत्ति का कुछ हिस्सा अली जान के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लिखा दिया गया। जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने अपने रिश्तेदार सांसद डॉ.एसटी हसन के सहयोग से पुलिस पर दबाव डलवाते हुए उसके और उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था। जिसके बाद डॉ. एसटी हसन ने अपने अन्य सहयोगी वसीम अहमद, समीर अहमद मोहम्मद आसिम आफताब हुसैन, बदद्दू और लाल परवेज के साथ मिलकर 14 दिसंबर 2020 को मकान पर लगे लोहे के गेट को वेल्डिंग मशीन से काट दिया और उसमें अवैध कब्जा कर लिया। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को कई प्रार्थना पत्र दिए गए लेकिन सांसद ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए कोई कार्रवाई नहीं होने दी। जिसके बाद अदालत का सहारा लिया गया था। इस मामले की सुनवाई मुरादाबाद की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट एमपी सिंह की अदालत में की गई। वादी फजीउल्ला खान ने बताया कि अदालत ने सांसद डॉ. एसटी हसन वसीम अहमद समीर अहमद, मोहम्मद आसिम खां, अफताब हुसैन, बदद्दू और लाल परवेज को धोखाधड़ी षडयंत्र जैसी संगीन धाराओं में 15 अप्रैल को तलब किया है।

छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

मुजफ्फरनगर (संवाददाता)। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की बचन सिंह कॉलोनी में रहने वाले विजेंद्र सिंह के 18 वर्ष के बेटे तुषार ने मकान की तीसरी मंजिल पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस का कहना है कि तुषार रात में खाना खाने बाद सोने के लिए छत पर गया था। वहां रात में किसी समय उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली । सुबह पता चला तो पुलिस मौके पर पहुंची थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

मजदूर ने उपचार के दौरान तोड़ा दम, गन्ना पेराई करने वाली चर्खी की चपेट में आकर हुआ था घायल

मुज़फ्फरनगर (संवाददाता)। भोपा थाना क्षेत्र के गांव गादला में काम करते समय कोल्हू मजदूर की गन्ना पेराई करने वाली चर्खी में चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रतनपुरी क्षेत्र के गांव अंबरपुर निवासी हसीन (22) गांव गादला में फहीम के कोल्हू पर मजदूरी कर रहा था। देर शाम बृहस्पतिवार वह काम करते समय गन्ना पेराई करने वाली चर्खी की चपेट में आकर घायल हो गया था। उसे बेगराजपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार तडके उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना पाकर भोपा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि हादसे के बारे में अभी तहरीर नहीं आई है

पिकअप की टक्कर से मासूम की मौत

मुरादाबाद (संवाददाता)। मुंढापांडे थाना क्षेत्र के दौलतपुर अजमतपुर गांव में शुक्रवार सुबह दूध वाली पिकअप ने दो साल के मासूम को रौंद दिया। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिकअप डेयरी से दूध लेकर लौट रही थी, उसी दौरान हाईवे पर हादसा हुआ। शान मोहम्मद (2) पुत्र आले नबी को रौंदकर पिकअप मौके से निकल भी गई थी। क मासूम के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजन ने पिकअप चालक के विरुद्ध तहरीर दी है। आले नबी ने बताया कि उनके पांच बच्चे हैं। जिनमें शान मोहम्मद की हादसे में मौत हो गई है। वह काफी निर्धन हैं। मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। शुक्रवार को उनका छोटा बेटा शान मोहम्मद घर के बाहर खेल रहा था, उसी दौरान गांव की दूध डेयरी पर पिकअल आई थी, जिसने उनके बेटे को कुचल दिया है। हादसे की जानकारी पर गांव की भीड़ मौके पर एकत्र थी। लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। उधर, चौकी पुलिस भी ग्रामीणों की नाराजगी को देखकर बड़ी सूझबूझ का परिचय देते हुए समय रहते कार्रवाई की है।

पुलिस ने मुठभेड़ में अंतर्राज्यीय वाहन लुटेरे किये गिरफ्तार

मथुरा (संवाददाता)। जिले की कोतवाली पुलिस और एसओजी पुलिस ने गुरूवार-शुक्रवार की रात एक अंतर्राज्यीय इनामी अपराधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार बदमाश के पैर में गोली लगी है तथा उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह अपराधी वाहनो की चोरी/ लूट आदि का काम अपने साथियों के साथ करता है।

पुलिस अधीक्षक नगर डा अरविन्द कुमार के अनुसार राजस्थान के डीग का निवासी जाहुल यूपी, हरियाणा और राजस्थान में अपने साथियों के साथ वाहनों को उठाने आदि का काम करता है । उन्होंने बताया कि यह अपराधी अपने साथियों के साथ लोगों के घरों के सामने खड़े ट्रैक्टर या अन्य वाहनो को उठाता हैं तथा बाद में उसके चेसिस नम्बर और इंजन नम्बर बदल देता है फिर इसे बेंच देता है। बेंचते समय वह ग्राहक से बिक्री की अधिकांश रकम ले लेता है तथा यह कहता है कि बह बाकी रकम तब लेगा जब वह वाहन के कागजात दे देगा। बाद में न वह बाकी रकम लेता है और ना ही ग्राहक को कागजात देता है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त के पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा .315 बोर मय तीन जिंदा एवं दो खोखा कारतूस बरामद किये गए हैं। उस पर 25 हजार का मथुरा में और दस हजार का आगरा में इनाम घोषित किया जा चुका है।उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है।

अमरमणि त्रिपाठी की जमानत याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया निरस्त

प्रयागराज (एजेंसी)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अमरमणि त्रिपाठी को झटका लगा। कोर्ट ने मामले में किसी तरह के हस्तक्षेप से इंकार करते हुए बस्ती जिला जज के आदेश को बरकरार रखा है। ऐसी स्थिति में अमरमणि त्रिपाठी को अब बस्ती जिला न्यायालय में सरेंडर करना होगा। जिला जज ही उनके जमानत पर फैसला लेंगे।

जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में अमरमणि त्रिपाठी की अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 20 मार्च को जजमेंट रिजर्व कर लिया था। जिसपर शुक्रवार को फैसला आया है। कोर्ट ने संपत्तियां कुर्क किए जाने के आदेश के खिलाफ दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया।बस्ती की

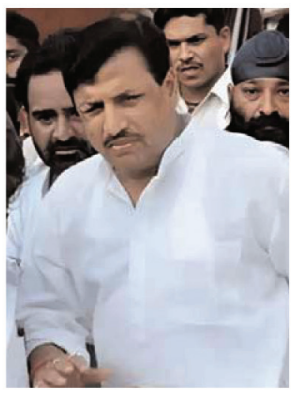

स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी को फरार घोषित किया था। बस्ती की स्पेशल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अमरमणि त्रिपाठी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने यूपी के डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह से उनकी संपत्तियों को जल्द से जल्द कुर्क करने का आदेश दिया था। बस्ती की सेशन कोर्ट ने संपत्तियों को कुर्क किए जाने के आदेश पर अमल नहीं किए जाने पर नाराजगी भी जताई थी। अदालत ने अमरमणि त्रिपाठी की याचिका को खारिज करने के आदेश में उसके खिलाफ दर्ज 36 आपराधिक मुकदमों को भी आधार बनाया।

इस मामले में कोर्ट ने यूपी सरकार ने अमर अमर त्रिपाठी की क्रिमिनल हिस्ट्री वह करंट स्टेटस पेश करने को कहा था जिसे सरकार ने दो दिन ही पहले ही कोर्ट में पेश किया। यूपी सरकार द्वारा जो क्रिमिनल हिस्ट्री पेश की गई थी, उनमें 36 मुकदमों की डिटेल्स दिया गया।

ज्ञात हो कि बस्ती जिले में साल 2001 में व्यापारी के बेटे के अपहरण का मामला है। 6 दिसंबर 2001 को बस्ती के व्यापारी धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल का अपहरण हो गया था। पुलिस ने व्यापारी के बेटे को लखनऊ में अमरमणि त्रिपाठी के घर से बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने अमरमणि समेत नौ लोगों को आरोपी बनाया गया था।

अमरमणि त्रिपाठी जेल से छूटने के बाद भी इस मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए थे । निचली अदालत ने उन्हें फरार घोषित कर संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया था ।अमरमणि की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी में निचली अदालत के कुर्की के आदेश पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी । साथ कोर्ट में सरेंडर करने पर जमानत पर रिहा किए जाने की भी गुहार लगाई गई थी।

पुलिस ने अंतरजनपदीय गिरोह के आठ सदस्यों को किया गिरफ्तार

सहारनपुर (संवाददाता)। नागल थाना पुलिस ने हाईवे से सरिया लूट मामले में अंतरजनपदीय गिरोह के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से लूटा गया सरिया, नगदी, बाइक, पिकअप तथा अवैध असलाह बरामद किया है। केस में अब डकैती की धारा भी जोड़ दी गई है। पकड़े गए गिरोह में मेरठ, गौतमबुद्धनगर, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद के बदमाश है, जिन्होंने इन जिलों में पहले भी वारदात को अंजाम दे रखा है।

थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के गांव पुडैन निवासी हाईवे निर्माण कंपनी के ठेकेदार शुभम त्यागी ने 18 मार्च को केस दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि बसेड़ा गांव के पास सामान रखने के लिए

स्टोर बना रखा है। जहां पर दो चौकीदार रखे हैं। 17 मार्च की रात बदमाशों ने चौकीदारों को बंधक बनाते हुए स्टोर से करीब आठ लाख रुपये का लोहे का सामान लूट लिया था।

एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि शुक्रवार सुबह गांव सरसीना के पास थाना प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेश्वर बौद्ध पुलिस बल के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान पुराने सरिया से भरी एक पिकअप को रोककर चेकिंग की गई। संतोषजनक जवाब न मिलने कारण थाने लाकर पूछताछ की तो चालक ने बसेड़ा के पास स्टोर से सामान लूटने की घटना को कबूल कर लिया।

चालक से पूछताछ के बाद उसके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जिनके पास से 6700 रुपये, 10 क्विंटल, तीन तमंचे, छह कारतूस, एक पिकअप, एक मैजिक वाहन तथा तीन बाइक बरामद की है। पकड़े गए बदमाशों की पहचान करण निवासी ब्रह्मपुरी मेरठ, साहिल कल्लू गढ़ी थाना मसूरी गाजियाबाद, मनीष निवासी दूल्हेडा चौहान मेरठ, रामप्रकाश निवासी डबरिया थाना पिलखुवा मेरठ, पिंटू ग्राम डबरिया मेरठ, शादाब निवासी नोहल्ला देवीदास खतौली, जितेंद्र निवासी गजरौला हसनपुर, जगत सिंह मोहल्ला तुलसी विहार थाना दादरी गौतमबुद्ध नगर के रूप में हुई। पूछताछ में सामने आया कि वारदात को 10 बदमाशों ने अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने डकैती की धाराएं भी केस में जोड़ दी है। पकड़े गए बदमाशों को पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है।जगत चमन विहार कंकरखेड़ा में रहता है, जो गिरोह का मुखिया है। जिसकी शादाब के साथ जान-पहचान है। शाबाद लोहा चोरी के मामले में 15 दिन पहले ही जेल से आया था। उसने जगत को बताया कि नागल में काफी लोहे का माल पड़ा हुआ है, जिसकी रेकी भी कर ली है। लूटा गया कुछ माल वह एक कबाड़ी को बेच चुके थे।

सीतापुर की जिला जेल में आजम से मिले अखिलेश यादव

लखनऊ (एजेंसी)। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 22 मार्च को सीतापुर की जिला कारागार में पहुंच कर वहां बंद पूर्व मंत्री आजम खां से मुलाकात की। अखिलेश यादव दोपहर 12 बजे के बाद कई नेताओं के साथ जेल पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ पूर्व विधायक अनूप गुप्ता व पूर्व एमएलसी आंनद भदौरिया जिला कारागार में गए। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद उनके आने की चर्चा से राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। आजम के दोबारा सीतापुर जेल आने के बाद यह उनकी पहली मुलाकात होगी।

सूत्रों के मुताबिक एक

सप्ताह पहले ही अखिलेश यहां आना चाहते थे तब आजम ने मिलने से मना कर दिया था। संभवता अखिलेश यादव ने आजम से मिलकर लोकसभा चुनाव पर चर्चा के साथ रामपुर और मुरादाबाद में प्रत्याशी तय करने की भी सलाह ली होगी। अखिलेश पहले कह भी चुके हैं कि मुरादाबाद और रामपुर के प्रत्याशी आजम खान से बातचीत करके ही तय किये जायेगें। बता दें 22 अक्टूबर 2023 को आजम खां को रामपुर से जिला कारागार सीतापुर में शिफ्ट किया गया था। इसके कुछ ही दिनों बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उनसे मिलने आए थे। हालांकि, उनकी आजम से मुलाकात नहीं हो सकी थी और अजय राय सेब की टोकरी देकर चले गए थे। आजम खान बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में सजा काट रहे हैं।